दिनांक 07.09.2017 को निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित सहायक निदेशक उद्यान की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी के अनुसारः–

सर्वप्रथम मिशन निदेशक के निदेशानुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ किया गया है।

1. मुख्यमंत्री बागवानी मिशनः–

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 के लम्बित उत्तरदेयिता के भुगतान की समीक्षा किया गया। जिलावार लम्बित उत्तरदेयिता की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार पाया गया :–

क्र० सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 का उत्तरदेयिता		भुगतान कि स्थिति	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1	Arwal	2536.25	7.84	15	2.25
2	Buxar	13314.4	69.19	8597.3	5.14
3	Bhojpur	141.5	30.78	2126.5	25.28
4	Gopalganj	5264.2	27.87	0	18.36
5	Jehanabad	58.05	8.16	0	0
6	Kaimur	134.1	24.01	76	16.63
7	Lakhisarai	96.6	34.31	5046.2	14.09
8	Madhepura	5135.96	28.41	1898.3	9
9	Nawada	4	3.5	4	3.5
10	Saran	60	12	0	0
11	Sheikhpura	0	0	5	3.63
12	Sheohar	0	2.68	34.7	5.24
13	Sitamarhi	49.5	9.9	0	0
14	Siwan	2000	81.76	5320.7	66.56
15	Supaul	167.15	19.21	87.5	17.81
	Total	**28961.71**	**359.62**	**23211**	**187.48**
क्र० सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 का उत्तरदेयिता		भुगतान कि स्थिति	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
	NHM District				
1	Araria	17	4.18	15.76	3.01
2	Aurangabad	0	16	64.1	12.82
3	Banka	9.05	2.28	0	0.45
4	Begusarai	250	51.25	180	38
5	Bhagalpur	74.75	21.28	0	14
6	Darbhanga	0	0	0	0
7	East Champaran	100	20	99.7	21.77
8	Gaya	30	6	0	0
9	Jamui	310	61	310	61
10	Katihar	15.89	1.83	0	0
11	Khagaria	20	5.92	0	0
12	Kishanganj	0	0	0	0.46
13	Madhubani	17.6	3.23	12.5	1.65
14	Munger	900	180	890	178.66
15	Muzaffarpur	0	0	0	0
16	Nalanda	0	0.31	0	0
17	Patna	186	37.3	185	36.33
18	Purnea	7.5	2.25	0	0
19	Rohtas	100	20	22	4.4
20	Saharsa	2.26	2.26	0	0
21	Samastipur	0	0	13.4	1.56
22	Vaishali	3	0.53	0	0
23	West Champaran	0	0	310	45.1
	Total	**2043.05**	**435.61**	**2102.5**	**419.2**
	Grand Total	**31004.76**	**795.23**	**25313.7**	**606.68**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लम्बित उत्तरदेयता का भुगतान DBT कार्यक्रम के तहत् Parent child Account के माध्यम से किया जाना है। यह पाया गया कि parent child account में राशि उपलब्ध होने के बावजूद किसी भी जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा शत् प्रतिशत लम्बित उतरदेयता का भुगतान नहीं किया गया है, जो खेदजनक है।

निदेशः–

सभी सहायक निदेशक उद्यान को निदेश दिया जाता है कि लम्बित उत्तरदेयिता का भुगतान 30 सितम्बर 2017 तक निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन Google drive पर Up to date किया जाय। 15 अक्टूबर के बाद 2016–17 की लम्बित उत्तरदेयता के भुगतान की स्थिति में उसकी पूर्ण जबाबदेही सहायक निदेशक उद्यान पर निर्धारित की जाएगी।

(अनुपालनः–सहायक निदेशक उद्यान, सभी)

2. सघन बागवानी कार्यक्रम (मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/एम.आई.डी.एच):–

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं MIDH के तहत् वित्तीय वर्ष 2017–18 में फलदार वृक्षों के सघन बागवानी (आम, अमरूद, लीची एवं ऑवला) T.C केला की खेती एवं पपीता की खेती के तहत् जिलावार संसूचित भौतिक लक्ष्य (हे०) के आलोक में अद्यतन उपलब्धि की समीक्षा किया गया। अद्यतन उपलब्धि निम्न प्रकार है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशनः–

क्र0 सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	भौतिक उपलब्धि (हे० में)	प्रतिशत उपलब्धि	शून्य उपलब्धि वाले जिला का नाम
1	आम	250	33.70	13.48	गोपालगंज, मधेपुरा।
2	लीची	100	49.70	49.70	मधेपुरा।
3	ऑवला	40	1.20	3.00	–
4	अमरुद	50	2.80	5.60	अरवल,भोजपुर, गोपालगंज, नवादा,सारण,सिवान, पूर्वी चम्पारण,सहरसा।
5	पपीता	375	4.50	1.20	–
6	टिश्यू कल्चर केला	1000	106.83	10.69	मधेपुरा, नवादा, शिवहर, सितामढ़ी, सुपौल, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा।

एम० आई० डी० एच० (राष्ट्रीय बागवानी मिशन) :–

क्र0 सं०	फसल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	भौतिक उपलब्धि (हे० में)	प्रतिशत उपलब्धि	शून्य उपलब्धि वाले जिला का नाम
1	आम	1667	51.73	0.03	बांका, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुगेंर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा एवं वैशाली।
2	टिश्यू कल्चर केला	1100	59.38	0.05	अररिया, बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली।

सहायक निदेशक उद्यान द्वारा बताया गया कि DBT कार्यक्रम के तहत् कृषकों द्वारा पूरी राशि भुगतान कर पौधा का क्रय करने में रूचि नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण उपलब्धि प्रभावित हो रही है।

DBT कार्यक्रम पिछले वर्षो से लागू है। जिसके आलोक में शत् प्रतिशत उपलब्धि करने का प्रयास सहायक निदेशक उद्यान को करना चाहिए। शून्य उपलब्धि यह स्पष्ट करता है कि सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो दुःखद बात है।

निदेशः— सरकारी नर्सरियों में उपलब्ध फलदार पौधों के रोपण सामग्री को योजनात्तर्गत लाभुक कृषकों को उधार वितरण करने तथा पौधा के कीमत को कृषक के मिलने वाले सहायतानुदान की राशि से समायोजित करने संबंधित प्रस्ताव उच्चस्तरीय निर्णय हेतु संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—उप निदेशक उद्यान योजना)

3. उप निदेशक उद्यान (योजना) द्वारा बताया गया कि टिश्यू कल्चर केला की पौधा की आपूर्ति हेतु अबतक तीन कम्पनियों यथा मेर्सस शील बायोटेक लि०, मेर्सस सिनर्जी एग्री टेक एवं मेर्सस के० एफ० बायोटेक लि० को कार्यादेश निर्गत कर सभी सहायक निदेशक को e-mail द्वारा उपलब्ध कराया गया है। समीक्षा में पाया गया कि कुल स्वीकृत लक्ष्य 2100 हे० के विरूद्व अभीतक मात्र 166.21 हे० के लिए हीं चयनित कृषकों द्वारा क्रय किया गया है, जो चिन्ताजनक है। इसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया, क्योंकि टिश्यू कल्चर केला लगाने का उचित समय सितम्बर माह तक हीं है।

(अनुपालनः—सहायक निदेशक उद्यान संबंधित जिला)

4. उप निदेशक उद्यान (योजना) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित योजनाओं अंत्तर्गत् अवयवार कृषकों की सूचि विभागीय वेबसाइट पर upload करने हेतु माँगी गई है। परन्तु, स्मारित करने के बावजूद भी योजनावार सूची सभी जिलों से उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो निम्नवत् होः—

क्र० सं०	जिला का नाम	योजना का नाम जिसके अंत्तर्गत सूची अप्राप्त ।
1.	अररिया	CMHM,NHM,PMKSY
2.	अरवल	CMHM, PMKSY
3.	बांका	CMHM,NHM,PMKSY
4.	बेगुसराय	CMHM,NHM,PMKSY
5.	भागलपुर	CMHM,NHM,PMKSY
6.	पूर्वी चम्पारण	CMHM
7.	जमुई	PMKSY
8.	कैमूर	CMHM,PMKSY
9.	खगड़िया	PMKSY
10.	मधेपुरा	PMKSY
11.	मुंगेर	CMHM,NHM,PMKSY
12.	नवादा	PMKSY
13.	सहरसा	CMHM,NHM,PMKSY
14.	समस्तीपुर	CMHM,PMKSY
15.	सारण	PMKSY
16.	सिवान	CMHM,PMKSY
17.	सुपौल	CMHM,PMKSY
18.	पश्चिमी चम्पारण	CMHM,NHM,PMKSY

इसी प्रकार मखाना (खेत प्रणाली/तालाब प्रणाली) की खेती से अच्छादित रकवा (हे०) से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, सहरसा एवं शेखपुरा जिला से अप्राप्त है।

राज्य बागवानी मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत् निर्माण कराये गए प्याज भंडारण इकाई डिस्टीलेशन यूनिट तालाब से संबंधित प्रतिवेदन अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर, पूर्वीचम्परण, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, राहतास, सहरसा, शिवहर, सिवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण से अप्राप्त है।

निदेशः—

वित्तीय वर्ष 2016—17 के लाभुक कृषकों की सूचि मखाना के अच्छादन से संबंधित प्रतिवेदन एवं परियोजना अधारित अवयवों से संबंधित माँगी गई प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2017 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः— सहायक निदेशक उद्यान संबंधित।)

5. पपीता का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम :—

उप निदेशक उद्यान (योजना) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017—18 में राज्य योजना के तहत् पपीता का क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य 375 हे० रखा गया है जिसे जिले के माँग के अनुरूप विखंडित कर जिलावार भौतिक लक्ष्य संसूचित किया जा चुका है। पपीता के पौधा तैयार करने हेतु कार्यालय पत्रांक 729 दिनांक 22 मई 2017 द्वारा सभी सहायक निदेशक उद्यान को निम्न निदेश दिये गए हैः—

प्रस्तावित लक्ष्य के आलोक में पपीता का पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता स्वंय सुनिश्चित किया जाय, अथवा कृषकों के माँग के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली को पपीता का पौधा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली में तैयार कराने हेतु ससमय सूचित किया जाय। सेन्टर में तैयार पौधे का ससमय उठाव एवं बिक्री नहीं होने की स्थिति में पौध उत्पादन हेतु आदेश देने वाले संबंधित सहायक निदेशक उद्यान पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी।

निदेश के आलोक में सहायक निदेशक उद्यान अरवल, बक्सर, गया, जमुई, लक्खीसराय, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, सारण, सीतामढ़ी एवं सिवान द्वारा पपीता के पौध रोपण सामग्री तैयार करने सम्बंधित किसी भी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई नहीं किया गया है।

निदेशः—

लक्ष्य के आलोक में कृषकों का चयन, पपीता के पौध रोपण सामग्री ससमय तैयार कर कृषकों को उपलब्ध कराने एवं शत्प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करने का निदेश निदेशक उद्यान—सह—मिशन निदेशक द्वारा दिया गया।

(अनुपालनः— सहायक निदेशक उद्यान सभी)

6. परियोजना आधारित कार्यक्रमः—

परियोजना आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सहायक निदेशक उद्यान (सामान्य एवं सूचना) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015—16 से परियोजना आधारित कार्यक्रमों हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Delegation of Power for Sanction of Projects में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार ₹5.00 लाख तक के कार्यक्रमों यथा—प्याज भंडारण इकाई, पैक हाउस, आसवन संयंत्र इकाई इत्यादि के लिये Sanctioning Authority मिशन निदेशक महोदय होंगे तथा ₹5.00 लाख से ऊपर के कार्यक्रमों अथवा क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सहायतानुदान से संबंधित परियोजना प्रस्तावों के लिये State Level Executive Committee को Sanctioning Authority घोषित किया गया हैं।

इस क्रम में मिशन निदेशक महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व में जिला स्तर पर यदि ₹5.00 लाख तक के परियोजना आधारित कार्यक्रमों यथा–प्याज भंडारण इकाई, पैक हाउस, आसवन संयंत्र इकाई इत्यादि की स्वीकृति दी गयी हो तो, 15 दिनों के अंदर ऐसे स्वीकृति के विरूद्व निर्माण कराये गए ईकाई का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन (फोटोग्राफ्स सहित) के साथ, समेकित सूची तैयार कर सभी सहायक निदेशक उद्यान, भारत सरकार के संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार, मिशन निदेशक से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– सभी सहायक निदेशक उद्यान (जिला उद्यान कार्यालय)

इस क्रम में मिशन निदेशक द्वारा ₹5.00 लाख तक के परियोजना आधारित कार्यक्रमों तथा ₹5.00 लाख से ऊपर के परियोजना आधारित कार्यक्रमों हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित Delegation of Power for Sanction of Projects से संबंधित सूचना पत्र की छायाप्रति सभी सहायक निदेशक उद्यान/प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सहायक निदेशक उद्यान (सामान्य एवं सूचना)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजना आधारित कार्यक्रमों हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विभिन्न अवयवों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की ससमय छटाई उपरांत ₹5.00 लाख तक के परियोजना प्रस्तावों की जिलावार सूची तैयार की जायेगी तथा उक्त सूची को संबंधित जिला को उपलब्ध कराते हुए सात दिनों के अंदर सहायक निदेशक उद्यान का मंतव्य प्राप्त की जायेगी। सभी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय द्वारा सात दिनों के अंदर मंतव्य उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। सात दिनों के अंदर यदि मंतव्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा की उक्त सूची पर संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय का मंतव्य प्राप्त है तथा तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। भविष्य में ऐसे मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा तो इसके लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

अनुपालन– सभी सहायक निदेशक उद्यान (जिला उद्यान कार्यालय) एवं सहायक निदेशक उद्यान (सा० एवं सू०), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।

मिशन निदेशक द्वारा निदेशित किया गया कि गुगल ड्राईव पर परियोजना आधारित कार्यक्रमों हेतु लिंक देने के लिए प्रोग्रामर, हॉर्टनेट सेल द्वारा शीट तैयार कर सभी सहायक निदेशक उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय एवं सहायक निदेशक उद्यान (सामान्य एवं सूचना) को सात दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालन– श्री विनय पाण्डेय, प्रोग्रामर, हॉर्टनेट, बि. रा. बा. मि., पटना।

7. <u>प्रधानमंत्री कृषि योजनाः–</u>

PMKSY समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2016–17 में आवंटित राशि को अधिकांश निदेशक उद्यान द्वारा प्रपत्र BT-42 के साथ संभावित किसानों की सूची लगाकर कोषागार से राशि निकासी की गयी है। निदेशक उद्यान द्वारा निदेशित किया गया कि वर्ष 2016–17 में PMKSY योजनान्तर्गत कोषागार से निकासी की गयी राशि का व्यय नियमानुसार 30.09.2017 तक सुनिश्चित किया जाय। निदेशक महोदय द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि OFWM एवं NMMI अन्तर्गत कोई भी खाता जिला में संधारित नहीं रहेगा। अगर किसी जिला में इन दोनो योजना अन्तर्गत बैंक खाता संधारित है तो बैंक खाता बंद करते हुये उपलब्ध राशि को ड्रॉफ्ट के माध्यम से मुख्यालय को वापस करने का निदेश दिया गया।

8. VIUC

सर्वप्रथम उप निदेशक उद्यान (प्र० एव मु०)–सह–नोडल पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में व्यय की गई राशि की समीक्षा की गई। जिलावार व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	जिला	अवयव	वित्तीय वर्ष–2015-16 VIUC (RKVY) लक्ष्य		उपलब्धि		अम्युक्ति
			भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)	भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	पटना	सब्जी की खेती	855	204.188	855	143.2125	नालन्दा द्वारा भौतिक उपलब्धि के विरूद्ध 151.92 लाख रूपये संबंधितों के भुगतान हेतु चाईल्ड एकाउन्ट में भेजा गया हैं, जिसमें से बैंक द्वारा मात्र 58.410 लाख रूपये राशि ही लाभुकों को भुगतान किया जा सका है। शेष मो० 80.9550 लाख रूपये का भुगतान आदेश बैंक द्वारा धीमा गति के कारण कार्यालय स्तर से भेजा जाना शेष है।
		संरक्षित खेती	13290	29.17575	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	65	56.875	65	40.25	
		परियोजना आधारित	141	7.05	-	-	
		प्रशासनिक @ 1%	-	2.82	-	2.82	
		योग	**14351**	**300.10825**	**920**	**186.2825**	
2	नालंदा	सब्जी की खेती	1045	249.1875	1035	58.41	
		संरक्षित खेती	13380	29.409	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	70	61.25	42		
		परियोजना आधारित	141	7.05	-	-	
		प्रशासनिक @ 1%	-	3.25	-	1.64434	
		योग	**14636**	**350.1465**	**1077**	**60.05434**	
3	वैशाली	सब्जी की खेती	650	154.125	650	138.45	
		संरक्षित खेती	13330	29.29025	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	65	56.875	65	38.53	
		परियोजना आधारित	143	7.15	-	-	
		प्रशासनिक @ 1%	-	2.305	-	1.36	
		योग	**14188**	**249.74525**	**715**	**178.34**	
		कुल योग	**43175**	**900**	**2712**	**424.6768**	

समीक्षा में पाया गया कि संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अब तक राशि का पूर्ण व्यय नहीं किया गया है, जिस पर मिशन निदेशक द्वारा खेद प्रकट की गई एवं निदेश दिया गया कि दिनांक 30.09.2017 तक राशि का पूर्ण व्यय अनिवार्य रूप से किया जाय। दिनांक 30.09.2017 के बाद अवशेष उत्तरदायिता के भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान की होगी।

क्रम सं0	जिला	अवयव	वित्तीय वर्ष 2016-17 VIUC (RKVY) लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)	भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सीतामढी	सब्जी की खेती	1100	284.062	919	237.960
		संरक्षित खेती	6000	13.325	-	-
		कम लागत प्याज भंडारण	55	48.125	52	45.500
		परियोजना आधारित	-	4.296	-	-
		योग	**7155**	**349.808**	**971**	**283.460**
2	नवादा	सब्जी की खेती	950	247.5	950	247.500
		संरक्षित खेती	6000	13.325	-	-
		कम लागत प्याज भंडारण	40	35.000	40	35.000
		परियोजना आधारित	-	4.296	-	-
		योग	**6990**	**300.121**	**990**	**282.500**
3	मधेपुरा	सब्जी की खेती	797	201.825	675	122.000
		संरक्षित खेती	6000	13.325	-	-
		कम लागत प्याज भंडारण	35	30.625	35	0
		परियोजना आधारित	-	4.296	-	0
		योग	**6832**	**250.071**	**710**	**122.000**
		कुल योग	**20977**	**900**	**2671**	**687.960**

सहायक निदेशक उद्यान, नवादा एवं सीतामढ़ी द्वारा संरक्षित खेती को छोड़कर लक्ष्य की प्राप्ति की गई है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा द्वारा अब तक 50 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। जिस पर मिशन निदेशक द्वारा खेद प्रकट की गई साथ ही निदेश दिया गया कि दिनांक 30.09.2017 तक राशि का पूर्ण व्यय अनिवार्य रूप से किया जाय।

वितीय वर्ष 2016-17 VIUC (राज्य योजना)							
क्रम सं0	जिला	अवयव	लक्ष्य		उपलब्धि		अभ्युक्ति
			भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)	भौतिक (हे0, वर्ग मीटर एवं इकाई)	वित्तीय (लाख रू० में)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	मुजफ्फरपुर	सब्जी की खेती	600	157.5	566	149.91	
		संरक्षित खेती	-	-	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	35	30.625	28	24.5	
		परियोजना आधारित	-	3.5	-	-	
		योग	**635**	**191.625**	**594**	**174.41**	
2	समस्तीपुर	सब्जी की खेती	600	157.5	600	157.5	
		संरक्षित खेती	-	-	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	35	30.625	35	-	
		परियोजना आधारित	-	3.625	-	-	
		योग	**635**	**191.75**	**635**	**157.5**	
3	पूर्वी चम्पारण	सब्जी की खेती	600	157.5	501	127.787	
		संरक्षित खेती	-	-	-	-	
		कम लागत प्याज भंडारण	35	30.625	34	29.75	
		परियोजना आधारित	-	3.5	-	-	
		योग	**635**	**191.625**	**535**	**157.537**	
		कुल योग	**1905**	**575**	**1764**	**489.447**	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार अवशेष लक्ष्य की प्राप्ति दिनांक 30.09.2017 तक करने हेतु संबंधित सहायक निदेशक उद्यान को निदेशित किया गया। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने हेतु संबंधित सहायक निदेशक उद्यान सभी को निदेशित किया गया।

9. <u>अन्य महत्वपूर्ण निदेशः–</u>

1. निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन द्वारा सहायक निदेशक उद्यान सभी को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में सभी योजना अन्तर्गत आवंटन राशि की निकासी कोषागार के माध्यम से अवयवार कार्य निष्पादित कार्य के तहत लाभुक कृषको के नाम के विरूद्ध किया जायेगा। **वितीय वर्ष 2016–17 के Parent Child Account में उपलब्ध राशि से वितीय वर्ष 2017–18 के लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त भौतिक उपलब्धि के आलोक में भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।**
2. निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन द्वारा बताया गया कि इस वर्ष आलू का बाजार मूल्य कम होने के कारण कृषक कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू को निकासी नहीं कर रहे है, जो बाद में एक समस्या हो सकती है। अतः सभी सहायक निदेशक उद्यान को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने जिला में कोल्ड स्टोरेजवार कृषकों की भंडारित आलू की अद्यतन स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि यदि समस्या उत्पन्न होती है तो उपलब्ध प्रतिवेदन के आधार पर सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय लिया जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/9/17

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना

101

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/120/2006 1342 /NHM, पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक उद्यान (सभी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/120/2006 1342 /NHM, पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/120/2006 1342 /NHM, पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– NHM/BHDS/120/2006 1342 /NHM, पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ समर्पित।

22/9/17

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना